

जिला



गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक
35/2011

विक्रम संवत्
2068

30(कृ०) आश्विन 1933 (शा०)
जमशेदपुर, मंगलवार, 27/09/11

उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये परिवहन विभाग का अधिसूचना।

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

1. जिला परिवहन विभाग से सम्बंधित अधिसूचना।

01-02

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
(परिवहन शाखा)

अधिसूचना

झारखण्ड मोटर यान नियमावली के नियम 187 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकहित में शहरी क्षेत्रान्तर्गत यातायात नियंत्रण हेतु यातायात पुलिस उपाधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के प्रस्ताव से सहमत होते हुए निम्नलिखित स्थलों/मार्गों पर सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन के लिए अधिकतम गति सीमा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 112(2) के अन्तर्गत निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है।

क्र०सं०	शहरी क्षेत्रान्तर्गत आने वाले मार्ग	निर्धारित की गई गति